क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल
5/32 बंगला भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

मे0 सरिता स्टील एण्ड पावर लिमिटेड द्वारा ग्राम–महरूमकला, जिला–राजनांदगांव में प्रस्तावित फेरो एलॉय प्लांट [4×9 एमव्हीए / 2×18 एमव्हीए के सबमर्ज आर्क फर्नेस] सिलिका मेग्नीज– 58,320 टीपीए. , फेरो मेग्नीज– 81,230 टीपीए. एवं फेरो सिलिकॉन– 25,272 टीपीए. तथा मेग्नीज सिंटर प्लांट की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई में दिनांक 05.01.2012 को आयोजित लोक सुनवाई की कार्यवाही।

भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के अंतर्गत
मे0 सरिता स्टील एण्ड पावर लिमिटेड द्वारा ग्राम–महरूमकला, जिला–राजनांदगांव में प्रस्तावित फेरो एलॉय प्लांट [4×9 एमव्हीए /2×18 एमव्हीए के सबमर्ज आर्क फर्नेस] सिलिका मेग्नीज– 58,320 टीपीए. , फेरो मेग्नीज– 81,230 टीपीए. एवं फेरो सिलिकॉन– 25,272 टीपीए. तथा मेग्नीज सिंटर प्लांट की पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई की तिथि 05.01.2012 निर्धारित कर समाचार पत्रों दैनिक भास्कर दिनांक 04.12.2011 एवं टाईम्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली दिनांक 04.12.2011 के प्रकाशन में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। ई.आई.ए.अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु जिला कलेक्टर कार्यालय राजनांदगांव, जिला पंचायत कार्यालय राजनांदगांव, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र राजनांदगांव, ग्राम पंचायत महरूमकला, जिला–राजनांदगांव, ग्राम पंचायत महरूमखुर्द, जिला–राजनांदगांव, ग्राम पंचायत खपरीखुर्द, जिला–राजनांदगांव, ग्राम पंचायत खैरा, जिला–राजनांदगांव, ग्राम पंचायत हरडूवा, जिला–राजनांदगांव, ग्राम पंचायत ठेल्काडीह , जिला–राजनांदगांव, ग्राम पंचायत डूमरडीहकला., जिला–राजनांदगांव, ग्राम पंचायत मरकामटोला, जिला–राजनांदगांव, ग्राम पंचायत सिंगारपुर, जिला–राजनांदगांव, ग्राम पंचायत विचारपुर , जिला– राजनांदगांव , क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं.–3,ई–5 अरेरा कालोनी भोपाल, डायरेक्टर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, मुख्यालय छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल 1–तिलक नगर ,शिव मंदिर चौक मेन रोड अवन्ती विहार, रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई में रखवाई गई थीं। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका– टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक

क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में दिनांक 02.01.2012 को श्री सुधांशु जोशी, अध्यक्ष पर्यावरण मित्र, राजनांदगांव से 01 आपत्ति प्राप्त हुई है।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 05.01.2012 दिन गुरूवार दोपहर 12:00 बजे श्री एस.के. पवार, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–राजनांदगांव की अध्यक्षता में प्रस्तावित उद्योग स्थल पटवारी हल्का नं.–14, ग्राम महरूमकला, तह0 खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला राजनांदगांव द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया। उद्योग प्रतिनिधि श्री रविन्द्रनाथ शाही, उपाध्यक्ष, मे0 सरिता स्टील एण्ड पावर लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित परियोजना के संबंध में सामान्य जानकारी दी गई। तत्पश्चात् श्री मंजुल मंयक श्रीवास्तव, प्रतिनिधि मे0 रामकी लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा परियोजना के संबंध में पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अध्ययन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से प्रस्तावित उद्योग के संबंध में पर्यावरणीय सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने हेतु कहा गया।

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय में से निम्नलिखित लोगों द्वारा प्रस्तावित उद्योग की स्थापना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां मौखिक रूप से प्रस्तुत की गई :–

1. **श्री उमेश कुमार साहू, ग्राम–खपरीखुर्द , जिला–राजनांदगांव।**

- हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बोलने का मौका मिले। जो लोग विरोध करते हैं वे शहरी क्षेत्र से आये हैं उन्हें बाद में बोलने का मौका दिया जाये।

2. **श्री कमलेश्वर सिंह, ग्राम पंचायत सिंगारपुर, जिला–राजनांदगांव।**

- इसके पहले भी एक लोक सुनवाई हुई थी, उसमें भी यही बात आई थी। आज सरिता कंपनी की लोक सुनवाई है।
- बहुत सी बात टेक्नीकल है, जिसे हम ग्रामीण जन समझ नही पाते हैं।
- कंपनी खुलने का हमें व्यर्थ में विरोध या समर्थन नहीं करना चाहिए।
- सरिता स्टील इस क्षेत्र में उद्योग स्थापना करना चाहता है जिसकी आज यहां लोक सुनवाई हो रही है। जिसका प्रचार–प्रसार हुआ है।
- स्थानीय ग्रामीणों को ही शत प्रतिशत प्लांट में रोजगार दिया जाना चाहिए। तत्पश्चात् बाहरी लोगों को रोजगार दिया जाये।

- कंपनी खुलने से पर्यावरण को हानि–लाभ होगी। इसकी जिम्मेदारी कंपनी को लेनी होगी और उसकी क्षतिपूर्ति करे।
- आज 10 ग्राम पंचायत के संरपंच यहां पर मौजूद हैं। कंपनी द्वारा जुबानी एग्रीमेन्ट नही किया जाये। वैधानिक रूप से प्रशासनिक एग्रीमेन्ट किया जाना चाहिए तभी कंपनी का काम शुरू होना चाहिए।
- जनसुनवाई का यह मंच खुला है, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए।

3. **श्री जगदीश साहू, ग्राम पंचायत पटेवा, सरपंच प्रतिनिधि, जिला–राजनांदगांव।**

- सरिता पावर एण्ड स्टील कंपनी जो लग रहा है, देखने–सुनने में तो ऐसा लगता है कि ये विकास की गंगा बहायेंगे, यह सिर्फ लुभावना मात्र है। ग्राम चंवरढाल में जो लैंकों सोलर कंपनी लगी है उसके द्वारा भी यही बात कही गई। क्या स्थानीय लोगों को योग्यता के आधार पर रोजगार यहां मिलेगा या नही ? यू.पी., बिहार के लोगों को बाद में प्राथमिकता दिया जाना चाहिए।
- 10 ग्राम पंचायतों से लिखित में नौकरी के लिये एग्रीमेन्ट करने के बाद ही यह सरिता स्टील पावर प्लांट लगाये।
- आसपास जो उद्योग लगे हैं उससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। हड्डी गोदाम से भी काफी वायु प्रदूषण हो रहा है। इस पर कोई कार्यवाही नही की जा रही है।
- हमारे क्षेत्र की जनता को इसका फायदा होना चाहिए तभी आप कंपनी लगावे।
- नववर्ष में हमारे स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिले यही मेरा निवेदन है।

4. **श्री उपेन्द्र सिंह बघेल, ग्राम पंचायत विचारपुर, जिला–राजनांदगांव।**

- बहुत खुशी की बात है कि ग्राम महरूमकला में स्टील प्लांट खोला जा रहा है जिसकी आज जनसुनवाई है।
- इससे पर्यावरण को नुकसान तो होगा, पर प्रबंधन से अनुरोध है कि उसका ध्यान रखें।
- स्थानीय किसानों को पहले प्राथमिकता दी जाये।
- जो स्थानीय ग्रामीण युवक आई.टी.आई. किये हैं उन्हें नौकरी में प्राथमिकता दी जाये।
- उद्योग द्वारा ग्राम पंचायत को गोद लेकर काम करना चाहिए।
- एक अनुबंध होना चाहिए जिसके तहत 10 ग्राम पंचायत जो इस क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे है उसमें क्या विकास होगा/सभी ग्राम पंचायतों को गोद लेना चाहिए।
- एबीस कंपनी के खुलने से आसपास के 10–15 गांवों को काफी नुकसान हुआ है। कंपनी के एम.डी. से अनुरोध इस पर कार्यवाही करे।
- लैंकों ग्रुप द्वारा इस क्षेत्र को छला जा रहा है। सरिता प्लांट खुलने से इसकी पुनरावृत्ति नही होनी चाहिए।
- उद्योग खुलना जरूरी है, इससे क्षेत्र का विकास होता है।

5. **श्री जीवन लाल देवांगन, पूर्व सरपंच, ग्राम मरकाम टोला, जिला–राजनांदगांव।**

- दो विषय में बात रखना चाहूंगा, पिछली बार 10 प्रतिशत स्थानीय लोग जनसुनवाई में उपस्थित थे और जनसुनवाई में 90 प्रतिशत बाहरी लोग अपने विचार रखे थे।
- प्रदूषण और रोजगार से प्रभावित गांव के लोग सशंकित हैं।
- प्रदूषण के संबंध में टेक्नीकल बात हमर गांव के आदमी मन ला समझ नही आय।
- उद्योग स्थापना के पश्चात् जो धुंआ निकलेगा वह कृषि जमीन को कितना प्रदूषित करेगा ?
- जमीन की स्थिति के बारे में उर्वरता का आकलन संबंधित विभाग द्वारा किस प्रकार किया जायेगा ?
- 40 एकड़ जमीन के अलावा कितने एकड़ क्षेत्र प्रभावित होगा ?
- एक सुझाव है – रोजगार के लिये एक कमेटी गठित हो, जिसमें सांसद, विधायक, ग्राम प्रमुख, जिला पंचायत के अलावा अन्य विशिष्ट अधिकारी इसके सदस्य हों, जिसके माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार मिले।
- कंपनी इस बात की व्यवस्था करे कि ट्रेन्ड वर्कर के लिये स्थानीय बेरोजगारों को ट्रेन्ड/प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान करे।
- ग्रामवासी भाई अपनी बात एकजुटता से मिलजुल कर रखे तभी रोजगार मिलेगा।
- धुंआ उत्सर्जन एवं जल प्रदूषण के संबंध में कंपनी प्रमुख कृपया बताये कि कितना एकड़/किमी. क्षेत्र प्रभावित होगा ?

6. **श्री हेमंत कुमार वैष्णव, ग्राम बासुला, जिला–राजनांदगांव।**

- कंपनी लगने के बाद यहां रहने वाले लोगों का स्तर क्या उठने वाला है या नही ?
- कंपनी लगने से पर्यावरण को जो नुकसान होगा उसके बारे में बतायें ?
- सरिता ग्रुप द्वारा 40 एकड़ में केवल 33 प्रतिशत जमीन हरित क्रांति के लिये रखा गया है, जो पर्याप्त नही है। उद्योग लगने से मुख्य रूप से किसानों को जो नुकसान होगा उसे पूरा नही किया जा सकता।
- कृषक अधिक प्रभावित होंगे, इसलिए उनका प्रतिवर्ष बीमा किया जाना चाहिए।
- उद्योग में केवल 140 लोगों को ही काम में लिया जाना बताया गया।
- इसमें कर्मचारी/अधिकारी का मापदण्ड कितना होगा, इसके बारे में नही बताया गया।
- यहां स्थानीय लोगों को बहुत कम फायदा मिलेगा।
- केवल मजदूर केटेगरी के लोगों को ही कंपनी में काम पर लिया जाना बताया जा रहा है।

- प्लांट में रोजगार हेतु आसपास के गांव का सर्वे कराया जाना चाहिए। स्थानीय ग्रामीण लोगों को प्रशिक्षित किया जाये और इंजीनियर, मैनेजर यही के लोगों को ही बनाया जाये।
- कंपनी लगने से आने वाली पीढ़ियों की क्या दुर्दशा या लाभ होने वाला है यह बात सही नही है।
- मात्र एक दिन में आपकी जन सुनवाई समाप्त नही होती है, कतार में बांधकर आप लोक सुनवाई नही करा सकते हैं। यह नियम के विपरीत है।
- जनसुनवाई केवल खानापूर्ति होती है। कोरम नाममात्र की होती है। ग्रामीण सरल स्वभाव वाले होते हैं।
- कंपनी लग सकती है, लेकिन स्थानीय लोगों को फायदा होने के बाद ही कंपनी लगाया जाये।
- कंपनी की टेक्नीकल बात जो प्रोजेक्ट के प्रास्पेक्ट्स में दी गई है, इसे 80 प्रतिशत लोग नही समझ पाते हैं और ना ही जानते हैं। हिन्दी में भी बहुत से लोग टेक्नीकल बात नही समझ पाते हैं। केवल 20 प्रतिशत लोग ही टेक्नीकल बात समझ पाते हैं। इसलिए इसका प्रकाशन स्थानीय भाषा में होना चाहिए।
- आसपास में वृक्षारोपण करवाया जाये।
- कंपनी खुलने से सड़क परिवहन बढ़ेगा, इसके लिये सड़क पक्कीकरण कराया जाये।
- कंपनी द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार लेने की सूची बनाकर पहले दी जाये तब कंपनी की स्थापना की जाये।
- स्थानीय लोगों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाये, इसके पश्चात् ही प्लांट खोला जाना चाहिए जिसमें उन्हें काम मिल सके।
- पर्यावरण अभियन्ता द्वारा ग्राम पंचायतों का सर्वे नही किया जाता है केवल खानापूर्ति, पेपर में ही यह बात पूरी की जाती है।

7. श्री त्रिभूवन लाल वर्मा, कृषि समिति अध्यक्ष, ग्राम महरूमकला, जिला–राजनांदगांव।

- आज सरिता ग्रुप की जन सुनवाई है।
- 10 पंचायत से लोग इस जनसुनवाई में इकट्ठा हुए हैं।
- आज लैंकों कंपनी ने भोले भाले स्थानीय लोगों को धोखा दिया है।
- सरिता ग्रुप द्वारा महरूमकला में 40 एकड़ जमीन फार्म हाउस बनाने के नाम पर खरीदी गई है, जो ग्रामीण जनता से धोखा करके खरीदी गई है। इसी जमीन पर उनके द्वारा आज कंपनी लगाने की बात की जा रही है, जिसकी आज लोक सुनवाई है।
- इस जमीन पर चना, गेहूं ,राहर, तिली की फसल होती है, जिसे प्लांट वाले धोखा देकर खरीद लिये हैं।
- बेरोजगारों को बाहर से ही वापस भेज दिया जाता है कि 6 माह पश्चात् हम आपको नौकरी देने के लिये बुलायेंगे।
- हम सरिता कंपनी नही लगने देंगे।

- पर्यावरण प्रदूषण होगा इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?
- 2000 स्थानीय जनता इकट्ठा होकर यह निर्णय लिये हैं कि कंपनी नही खुलने देंगे।
- कंपनी नही खुलने देंगे... नही खुलने देंगे का नारा लगाया गया।

8. श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा, सरपंच., ग्राम महरूमकला, जिला–राजनांदगांव।

- एन.ओ.सी. के लिये हम लोग मना किये।
- उद्योग वाले बोले की कंपनी प्रदूषणयुक्त नही है।
- 19 एकड़ का एन.ओ.सी. मांगा गया और बाद में 40 एकड़ में कंपनी लगाने का एन.ओ.सी. ग्राम पंचायत को धोखा देकर ले लिया गया।
- कंपनी वाले स्थानीय लोगों से धोखा किये हैं।
- सरिता कंपनी की एन.ओ.सी. निरस्त किया जाये।
- पंचायत के तरफ से भी पूरा एन.ओ.सी. निरस्त किया जाना चाहिए।

9. श्री लूनकरण वर्मा, महरूमकला, जिला–राजनांदगांव।

- पहले जनसुनवाई की अपेक्षा आज की जन सुनवाई में काफी लोग आये हैं। यह खुशी की बात है। इसका पर्याप्त प्रचार–प्रसार नही किया गया है।
- कंपनी द्वारा रोजगार मुहैया कराया जाना कहा गया है, ये बात सही नही है।
- यह लिखित में दिया जाये कि 10 ग्राम पंचायत में से बेरोजगारों को योग्यतानुसार रोजगार दिया जायेगा।
- रोजगार का स्तर किस श्रेणी का होगा ?
- टेक्नीकल ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रोजगार उपलब्ध करवाये।
- लैंकों कंपनी द्वारा वादा खिलाफी किया गया है। सरिता कंपनी द्वारा इस प्रकार वादा खिलाफी न किया जाये।
- यदि रोजगार दिया गया और किसी कारणवश कंपनी बन्द हो जाये तो कंपनी उनके सुरक्षा के संबंध में क्या कदम उठायेगी ? यह भी सुनिश्चित किया जाये।
- उद्योग लगने पर प्रदूषण का प्रभाव सामाजिक रूप से भी होगा।
- स्थानीय लोगों की अपेक्षा बाहरी लोगों को रोजगार यदि दिया जायेगा तो सामाजिक दुष्प्रभाव अधिक बढ़ेगा।
- हमें हवा, मिट्टी, जल प्रकृति से मिला है। लेकिन उद्योग के दूषित जल किसानों के जमीन की ओर बहाई जायेगी तो उन्हें नुकसान होगा। हवा की गुणवत्ता खराब होगी। इसकी जिम्मेदारी उद्योग प्रबंधन की होगी।
- लैंको कंपनी द्वारा मुआवजा राशि अब तक अप्राप्त है, जिसे शासन द्वारा दिलाई जाये। बाहरी लोग यहां आकर बस रहे हैं।
- कंपनी से लिखित एग्रीमेन्ट कराई जाकर ही कंपनी स्थापित हो, तभी आर्थिक विकास होगा।
- क्रशर स्थल से लगे जमीन का उत्पादन बहुत कम हो गया है, क्योंकि वहां पर प्रदूषण अधिक होता है जिससे फसल को नुकसान हुआ है।

- यदि 40 एकड़ में सरिता कंपनी स्थापित होती है, तो आप बताये कितना प्रदूषण होगा ?
- ट्रांसपोर्टिंग के लिये ट्रक लगेगा तो प्रदूषण भी होगा, इसके लिये सड़क निर्माण के बारे में क्या विचार किया गया है ?
- कंपनी द्वारा एक मॉडल रखा जाये जिसमें उद्योग की रूपरेखा हो, जिसमें वायु शोधन के लिये यंत्र लगाया गया है या नही इसकी संपूर्ण जानकारी हो ?
- स्थानीय लोगों को टेक्नीकल जानकारी नही होती है। केवल बाहरी लोग ही नौकरी में पूर्ण भागीदार बने हुए हैं, जिससे सामाजिक हस्तक्षेप बढ़ा है।
- हम कंपनी लगने की अपेक्षा पूरी करना चाहते हैं।
- गांव का विकास हो, तभी कंपनी की स्थापना की जाये।
- प्रास्पेक्ट्स में जानकारी सही रखी जाये।

10. **श्री मंगल सिंह चौधरी, डूमरडीहकला, जिला–राजनांदगांव।**

- आज सरिता कंपनी की जन सुनवाई हो रही है इसमें अधिक से अधिक पुलिस वाले आये हुए हैं। छोटी कार्यवाही में पुलिस वाले आड़े आ रहे हैं। क्या कंपनी लगने के बाद स्थानीय लोगों को यहां घुसने दिया जायेगा ?
- यहां सम्मानीय लोग बैठे हैं, वह भी बिना किसी सिक्युरिटी के , लेकिन जनसुनवाई में पुलिस अधिक आये हुए हैं क्यों ?
- सर्वे कराकर स्थानीय लोगों को जॉब दिया जाये।
- क्रशर से हो रहे अवैध उत्खनन को रोका जाये। ये सरकारी जगह का दुरूपयोग कर रहे हैं। इन पर विशेष कार्यवाही की जावे।

.

11. **श्री लक्ष्मीकांत पाण्डे, पंच, खपरी पंचायत, जिला–राजनांदगांव।**

- सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं।
- यहां आरोप एवं प्रत्यारोप सबने लगाया।
- यहां सभी पढ़े लिखे हैं, उस लेबल के हिसाब से स्थानीय लोगों को नौकरी दिया जाये।
- 10 ग्राम पंचायत आते हैं जिसमें रहने वाले नवयुवक/युवतियों का सर्वे कराया जाये एवं नौकरी दिलाई जाये।
- सबका आदर किया जाये, सभी आदरणीय हैं, सबको सम्मान मिलना चाहिए।
- सभी का वक्त बहूमूल्य है।
- सरपंच के पास स्थापित होने वाले कंपनी का नोटिफिकेशन होना चाहिए। उसी आधार पर योग्यतानुसार नौकरी दिया जाना चाहिए।
- हजारों कंपनी है, कंपनी से प्रदूषण होगा, इससे हमारी उन्नति होगी। आर्थिक विकास होगा।
- 75 प्रतिशत ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए, जिसमें लेबल के हिसाब से नौकरी दिया जाये।

- भविष्य को कौन देखा है, हम आज को देखे हैं। अतः कंपनी लगना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं।

12. श्री साधु लाल यादव, महरूमकला, जिला–राजनांदगांव।

- जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं।
- आज किसान के पास जमीन है तो वह करोड़पति है।
- प्रदूषण एक बड़ा मुददा है।
- कंपनी वादा करके चली जाती है। केवल कागजी कार्यवाही की जाती है।
- लैंकों कंपनी के व्यक्ति हमें बोलते हैं कि आप कौन हो, आप किसके परिचय के हो, किस लेवल के हो ? किससे मिलना है ? कंपनी बोलती है अन्दर मत आओ।

13. श्री कंवलजीत पिन्टू , जिला–राजनांदगांव।

- बाहरी लोगों को बोलने नही दिया जाये, ऐसा स्थानीय लोग कह रहे हैं।
- हमारे युवा साथी कहते हैं कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, जिसमें केवल 120 लोगों को ही रोजगार दिया जायेगा।
- यहां 10 गांव की जनसुनवाई हो रही है, जिसमें से एक गांव से केवल 4–6 लोगों को ही रोजगार दिया जाना है। एक ग्राम पंचायत में 600 लोगों की आबादी है।
- सरपंचों को किताब दी गई है जिसमें केवल 6 लोगों को ही रोजगार मिलना लिखा है।
- गलत गलत भ्रांति फैलाई जा रही है, दिग्भ्रमित की जा रही है, ऐसा नही होना चाहिए।
- बाहरी लोगों को पहले हटाये, तब ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।
- लैंकों कंपनी में काम कर रहे बाहरी लोगों को पहले हटाया जाये एवं यहां के स्थानीय लोगों को काम में लिया जाये।

14. श्री डेरहा राम लोधी, ग्राम हड़वा, जिला–राजनांदगांव।

- कल परसो पानी गिरा, वह पानी ग्राम हड़वा तक गया है। कंपनी लगने से दूषित पानी हमारे ग्राम हड़वा तक आयेगा। इसलिए कंपनी नही लगनी चाहिए।
- लैंकों कंपनी द्वारा हमारे ग्राम हड़वा को मूलभूत सुविधा नही दे रहा है। केवल समीपस्थ ग्राम महरूमकला को ही दिया जा रहा है।
- हर हाथ को काम मिलना चाहिए।

15. श्री कमल जंघेल , कृषक, बड़े महरूमकला, जिला राजनांदगांव।

- कंपनी खुलने से हम एक दूसरे आदमी को पहचान नही सकेंगे।
- न फसल सही उग पायेगा, ना ही फल लग पायेगा।
- कंपनी का दूषित पानी कहां जायेगा ?

- लैंको का दूषित पानी ग्राम हडवा जलाशय में ही जायेगा। जिससे फसल खराब होगा।
- इसी जलाशय के पानी को हमारे गांव के लोग पीयेंगे, नहाएंगे जिसका बुरा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा। पानी बहाव की सुविधा को अनदेखा किया जा रहा है।
- यह उपजाऊ जमीन है जो कंपनी लगने से नष्ट हो जायेगी।
- यहां चना, अरहर, सोयाबीन हर चीज की फसल होती है।
- इस प्रस्तावित कंपनी का हम गांव वाले विरोध करते हैं। मैं शिकायत पत्र भी दे रहा हूं। जिसमें लिखा है कि कंपनी स्थापना के इश्तहार पारित किया गया है। खसरा क्र. 834 का 40 एकड़ जमीन पर कंपनी खोला जाना बताया गया है। यह बात पटवारी द्वारा लिखा गया है। इस जमीन पर समस्त ग्रामवासी फसल का उत्पादन करते हैं। उद्योग द्वारा केवल फार्म बनाने के लिये ही जमीन लेने की बात कही गई थी। इस जमीन पर किसी भी प्रकार की औद्योगिक क्षेत्र खुलने नही देंगे। जन सुनवाई के लिये समस्त ग्रामवासी आंदोलन के लिये तत्पर हैं।
- लैंकों कंपनी द्वारा 9 लाख रूपये एसडीएम. के पास जमा कर चुके हैं। हितग्राही को अभी तक मुआवजा नही दिया गया है।
- लैंकों कंपनी न खुले ना ही मुआवजे दे। हम विरोध करते हैं।

16. श्री रामचंद्र वर्मा, कृषक, महरूमकला, जिला राजनांदगांव।

- मैं गांव का कृषक हूं। कंपनी स्थल से ठीक सामने कुछ दूरी पर मेरा फार्म हाउस है।
- यहां लोग कह रहे हैं कि सबको रोजगार मिले।
- चारागाह जमीन को बचाने संबंधी हमारे द्वारा 4–5 हजार रूपये खर्च कर चुके हैं। मुआवजा आज तक नही मिला। दो साल से सिर्फ आश्वास ही दिया जा रहा है। प्रशासन हमारे चारागाह संबंधी समस्या का निवारण करें तभी कंपनी खुले।
- प्रलोभन देने का क्या मतलब है ?
- स्थानीय लागों को नौकरी मिलना चाहिए। एक ग्राम पंचायत से केवल 6 लोगों को ही नौकरी मिलेगा ऐसा कंपनी द्वारा कहा गया है।
- एक गांव से 6 लोगों को ही नौकरी मिलेगा बाकी लोग बेरोजगार हो जायेंगे। केवल झांसा देकर यहां कंपनी द्वारा जमीन खरीदी गई है।
- यहां कंपनी मत लगाइये। कंपनी लगने से हम तो केवल धुंआ उड़ रहा है यही जानेंगे। इसके दुष्प्रभाव को नही जान पायेंगे। धरती हमारी माता है।
- प्रदूषण होने पर हम प्रशासन के पास जायेंगे, लेकिन वहां कुछ नही होगा, क्योंकि प्रशासन उनकी पहले सुनता है।
- लैंकों कंपनी पूरा फायदा उठा रही है और स्थानीय ग्रामीण हताश हो रहे हैं।
- अगर लैंकों/सरिता कंपनी रोजगार नही देगी तो कंपनी बन्द कर देंगे।

17. श्री गंगदेव राम वर्मा, महरूमखुर्द, जिला राजनांदगांव।

- मजदूरों, किसानों को केवल लुभाया जा रहा है।
- कंपनी वाले केवल वायदा करते हैं। ये लोग न हमें देखने आते हैं, न सुनने और ना ही काम देते हैं।
- कंपनी खुलने से केवल मंत्री, बड़े अधिकारी को ही फायदा होगा।
- ग्राम चंवरढाल की हालत खराब हो गई है। चलने हेतु रास्ता दिलाने की बात तहसीलदार मेडमजी को कही गई किन्तु उनके द्वारा आज तक रास्ता मुहैया नही कराया गया। केवल आश्वासन दिया गया।
- लैंकों कंपनी द्वारा अंग्रेजों की तरह गांव वालों को लूटा जा रहा है।
- पंच को भी यहां काम नही दिया जाता है। यहां दलाल हावी हो रहे हैं।
- मजदूरों को पूरा पेमेन्ट नही मिलता हैं।
- स्थानीय लोगों को पहले रोजगार हेतु पूरा आवेदन मंगाये एवं तत्पश्चात् कंपनी स्थापना करें।
- बाहरी सिर उठाकर घूम रहे हैं और हम सिर झुकाकर।
- जैसे अंग्रेज वैसे ये कंपनी के लोग गांव के लोगों को लूटेंगे।
- दलाल यहां हावी हो जायेंगे। पहले लैंकों कंपनी में, अब यहां हावी होंगे।

18. श्री सुधांशु जोशी, पर्यावरण मित्र, जिला राजनांदगांव

- प्लांट लगने से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार हीरा ग्रुप एवं सरिता ग्रुप का ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, इंवायरमेन्ट रूल ऑफ रेगूलेशन के अनुसार यदि कोई इसकी अवहेलना करता है तो कार्यवाही तुरंत स्थगित किया जाना लिखा है।
- हीरा ग्रुप एवं सरिता ग्रुप एक जैसा हो गया है। सिर्फ उत्पादन कम ज्यादा करके ही अंतर बताया जा रहा है।
- यह प्लांट लग ही नही सकता है। इस हेतु मेरे द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है।
- मेरी आपत्ति यह भी है कि इनके द्वारा सेंट्रल से पानी निकालने हेतु भूजल की डेप्थ क्या होगी बतायें ?
- पानी हेतु पूरा राजनांदगांव क्षेत्र ड्राई घोषित है, अगर कंपनी को पानी मिलेगी तो ग्रामीणजनों को पानी मिलना बन्द हो जायेगा।
- 33 प्रतिशत क्षेत्र को ही ग्रीन बेल्ट हेतु रखा जाना बताया जा रहा है। पर्यावरण पेड़ लगाने से कंट्रोल होगा जिसे कोई नही लगाता है। आज फोरलेन बन रहा है जिससे लाखों पेड़ कांटे गये हैं जिससे प्रदूषण बढ़ा है।
- कंपनी का मालिकाना हक किसका है कृपया यह बतावें ?
- कई कंपनी ब्लेक लिस्टेड हैं ? कृपया यह बतावें।
- भूजल का उपयोग तो बिल्कुल नही होना चाहिए। गहराई भी नही बताई गई है।

19. श्री वासुदेव लहरे, डुमरडीहकला, जिला राजनांदगांव

- मैं सबका अभिवादन करता हूं।
- पर्यावरण मित्र द्वारा हमें अच्छी जानकारी दी गई है।
- हमारे क्षेत्र में छोटी बड़ी कंपनी खुली है इसके बारे में जो पर्यावरण प्रदूषण फैला उसके बारे में अब तक किसी पर्यावरण मित्र द्वारा जानकारी नही दी गई है क्यों ?
- हमारे क्षेत्र में चूना पत्थर के 45 क्रशर खुले हैं।
- सड़क के दोनों ओर आने – जाने वाले लोगों को चूना पत्थर फैक्ट्री से धूल उड़ने के कारण वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है।
- 50 सालों से बोन मिल में सड़े गले जानवरों के मांस द्वारा उत्पादन किया जाता है जिससे काफी बदबू का सामना गांव वाले बर्दाश्त नही कर पाते हैं।
- लैंकों कंपनी द्वारा कहा जाता है कि नौकरी देंगे।
- प्रस्तावित सरिता कंपनी में लोगों को रोजगार दिया जाना बताया जा रहा है जो सही नही है।
- बिहार के लोग बिहार में ही प्लांट लगाये , छ.ग. में आकर प्लांट क्यों लगायेंगे ?
- कंपनी को महरूमकला द्वारा एन.ओ.सी. दिया गया है, तो यह इनकी समस्या है।

20. श्री बुधराम गुप्ता, महरूमकला, जिला राजनांदगांव।

- हमारे गांव में कंपनी नही लगनी चाहिए।
- काफी लोगो द्वारा भी कंपनी लगने पर आपत्ति जताई गई है। सभा समाप्त करो।

21. श्री भोज राम, बंजारे, जिला राजनांदगांव।

- ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दी गई है, लेकिन सरिता कंपनी न खुले ऐसा हम सब ग्रामवासी विरोध करते हैं।

22. श्री रामदयाल लहरे, डूमरडीहकला, जिला राजनांदगांव।

- सबने अपनी अपनी भावनाये व्यक्त की है।
- कंपनी न खुले इस लिये मैं अपनी तरफ से विरोध करना चाहता हूं।
- स्थानीय लोगों को छला गया है।
- लैंकों कंपनी द्वारा सहमति दी गई थी कि लोगों को रोजगार दिलाया जायेगा।

23 श्री जितेन्द्र कुर्रे, जिला राजनांदगांव।

- महरूमकला में कंपनी नही लगना चाहिए।
- छ.ग. के लोग किसान हैं इसलिये छ.ग. को धान का कटोरा कहा जाता है।
- कंपनी लगने से स्वास्थ्य में हानि होगी, लोग बेरोजगार हो जायेंगे।

24. श्री धनेश पाटिला, जिला राजनांदगांव।

- आज जिस ढ़ंग से चर्चा हो रही है कि इस जन सुनवाई में सरिता कंपनी की अपेक्षा विशेष कर लैंको कंपनी के बारे में अधिक चर्चा हो रही है।
- मेरी बात विधायक जी से हुई। लैंकों कंपनी के संबंध में आप लोगों की क्या रिश्तेदारी रही है ?
- स्थानीय लोगों को लैंकों कंपनी में रोजगार नही मिल पाया।
- पर्यावरण को क्या नुकसान हुआ है ? यह बतावें।
- सरिता कंपनी ने जो जमीन खरीदी है वह किस उपयोग के लिये खरीदी इसकी जानकारी दें ?
- कृषकों की जमीन को उद्योग हेतु परिवर्तन किया गया है क्या ?
- नून करण वर्मा द्वारा टेक्नीकल बात कही गई है, पर्यावरण मित्र द्वारा भी बहुत अच्छी बात की गई है।
- किसानों द्वारा बोरवेल करने पर आप लोगों द्वारा आपत्ति जताई गई है।
- उद्वहन सिंचाई योजना हेतु मेरे द्वारा सिंचाई विभाग में आवेदन किया गया था वह आवेदन निरस्त हो गया तो आप कंपनी के लिये भूजल से कितना पानी देने की बात कह रहे हैं ?
- महरूमकला में उद्योग लगना मेरे समझ से बाहर है।
- 60 मेगावाट से उद्योग संचालित होना बताया गया है।
- गांव में रोज बिजली कटौती हो रही है। मेरे पास शासकीय रिकार्ड है।
- कंपनी खुलने से राखड़, धूल निकलेगा उसे आप संस्था के अंदर ही उपयोग कर लेंगे यह बात समझ से परे है।
- खराब पानी को उपयोग करने हेतु कौन सा उपकरण कंपनी द्वारा लगाया जायेगा, यह उसकी समस्या है।
- प्रदूषण से महरूमकला गांव के लोग प्रभावित होंगे, इसके अलावा 10 ग्राम पंचायत के लोग भी प्रभावित होंगे।
- रोजगार के संबंध में टेक्नीकल लोगों को ही रोजगार दिया जाना कहा जा रहा है।
- कंपनी लगना जनता जनार्दन के ऊपर है।
- यदि जनता नही चाहती है तो महमरूकला में कंपनी नही खुलना चाहिए।

25. श्री शाहिद खान, कृषक, डूमरडीहकला, जिला राजनांदगांव।

- लैंकों ने 10 ग्राम पंचायत के लोगों को छला है।
- यहां के हमारे नव जवानों को बधाई देता हूं, जिन्होंने अपनी बात रखी।
- बेरोजगार नव जवानों को लाईन लगाकर जन सुनवाई करवाई जा रही है यह गलत है।

- लैंकों कंपनी द्वारा इस क्षेत्र में उद्योग लगाया गया है। लेकिन पानी हमारे गांव से लेकर आ रहा है। कुल 23 किमी. से पानी लाने के कारण आसपास के ग्रामीण जनता प्रभावित होंगे। भर्रे गांव से 8 किमी. तक का क्षेत्र प्रभावित होगा।
- स्थानीय लोगों को आश्वास के हिसाब से कंपनी में रोजगार नही दिया गया है। यहां के लोग कैसे विश्वास करेंगे कि नई कंपनी खुलने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा ?
- लैंकों कंपनी द्वारा मुआवजा आज तक नही दिया गया है क्यों ?
- सरिता ग्रुप द्वारा 19 के स्थान पर 40 एकड़ जमीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया है जो कि गलत है, उनके उपर एफ.आई.आर. दर्ज किया जाना चाहिए।
- सरिता ग्रुप द्वारा धोखाधड़ी किया गया है।
- कंपनी द्वारा विज्ञापन सामान्य दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित नही किया गया।
- किसानों को प्रोजेक्ट की एक एक प्रति दी जाये तब जन सुनवाई करवाई जाये तब कंपनी स्थापित हो।

26. श्रीमती चित्ररेखा वर्मा, जिला पंचायत सदस्य, जिला राजनांदगांव।

- 10 ग्राम से आये समस्त लोगों को मेरा प्रणाम।
- कंपनी खुलने का मैं पुरजोर विरोध करती हूं।
- इस कंपनी के लोग हम जन प्रतिनिधियों को विश्वास में नही लेते हैं।
- कलेक्टर साहब को भी मैं कहना चाहती हूं कि वे सबसे पहले जनता के हैं और बाद में कंपनी के, लेकिन पहले वे कंपनी की सुनते हैं फिर बाद में जनता की।
- कंपनी लगाने वालों को मैं कहना चाहूंगी कि वे अच्छे रकम का झांसा देकर उनकी जमीन खरीद लेते हैं और कंपनी स्थापित कर लेते हैं। बाद में उन लोगों को पछतावा होता है।
- कंपनी द्वारा पंच, सरपंच, सांसद, जन प्रतिनिधि, विधायक को विश्वास में ही नही लिया जाता है।
- मैं ग्राम महरूमकला के लोगों के साथ हूं और कंपनी न लगे इसका विरोध करती हूं।
- लैंकों कंपनी द्वारा कृषकों को उनके जमीन में जाने का रास्ता नही दिया जा रहा है।
- वहां के चारागाह को भी लैंकों कंपनी द्वारा हथिया लिया गया है।
- सरिता प्लांट खुलने से हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हम अपने बच्चे का भविष्य देखें और कंपनी लगने का विरोध करें।
- कलेक्टर महोदय द्वारा एक एक बूंद पानी के लिये मीटिंग लिया जाता है और पर्याप्त पानी नही दिया जाता है। ऐसा नही होना चाहिए और मैं कंपनी लगने का विरोध करती हूं।

27. श्री मेरूल मारू, सचिव छ.ग. युवा कांग्रेस, जिला राजनांदगांव।

- किसानों को देने के लिये बिजली नही है, लेकिन प्लांट लगाने के लिये शासन के पास भरपूर बिजली है।
- चंद्रपुर में सबसे ज्यादा पावर प्लांट लगा है और आज की स्थिति में वह सबसे अधिक प्रदूषण ग्रसित क्षेत्र है।
- सरिता प्लांट लगने से कृषि उपज चौपट हो जायेगी।
- रोजगार के नाम पर सबको छला जाता है।
- लैंको कंपनी एक छोटा सा नमूना है। रोजगार के नाम पर केवल कुछ लोगों को ही रोजगार मिला।
- लैंकों कंपनी के द्वारा ग्रामवासियों के साथ हर तरह से वादा खिलाफी की गई है।
- सरिता कंपनी खुले इसमें गांव के किसी भी लोगों की मंशा नही है।
- आज की जनसुनवाई बन्द की जानी चाहिए।
- इसमें केवल सरकार का भला है , उद्योग का भला है, ग्रामवासियों का भला नही है।
- यह पर्यावरण विरोधी नीति है इसे किसी भी स्तर पर लागू नही होने दिया जायेगा।
- अवैध उत्खनन लैंकों द्वारा किया गया। तत्पश्चात् शासन द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज की गई।

तत्पश्चात् विशाल जन समुदाय द्वारा जन सुनवाई का विरोध किया जाने लगा।

तत्पश्चात् अतिरिक्त दण्डाधिकारी श्री एस.के. पवार द्वारा विशाल जन समुदाय को जन सुनवाई शांतिपूर्वक चलने देने हेतु शांत कराया गया।
पुनः विशाल जन समुदाय द्वारा खड़े होकर जन सुनवाई का विरोध किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि हमें छला जा रहा है, हम जन सुनवाई नही होने देंगे। कंपनी लगने नही देंगे। अतः जन सुनवाई बन्द कराई जाये।

पुरजोर नारा लगाया गया कि जन सुनवाई बन्द की जाये, बन्द की जाये। 100 प्रतिशत लोगों द्वारा कहा गया कि कंपनी नहीं खुलना है तो नही खुलना चाहिए। जन प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि यहां पानी का स्तर बहुत गिरा हुआ है। इसलिए कंपनी नही खुलना चाहिए।

तत्पश्चात् उद्योग प्रतिनिधि श्री रविन्द्रनाथ शाही द्वारा नागरिकों द्वारा उठाये गये मुद्दों के संबंध में कहा गया कि हमारे द्वारा आसपास के सभी 10 गांवों में सामुदायिक विकास का कार्य कराया जायेगा। अभी हमारा कार्य शुरू नही हुआ है तब भी जब मुझे बताया गया कि यहां दो लोग काफी बीमार हैं और उन्हें

इलाज के लिये आर्थिक मदद की आवश्यकता है तो ग्राम सरपंचों से बात करके मेरे द्वारा क्रमशः 40 हजार एवं 20 हजार का चेक जारी किया गया। मैं अपनी कंपनी के संबंध में स्पष्ट आश्वासन दिया हूं कि 10 ग्राम पंचायत के द्वारा कमेटी गठित की जावे एवं उसमें प्रस्ताव के हिसाब से हमारे द्वारा आसपास के सभी गांवों में जनहित का कार्य करवाया जायेगा।

तत्पश्चात् अतिरिक्त दण्डाधिकारी श्री एस.के. पवार द्वारा जन सुनवाई समाप्त किये जाने की घोषणा की गई।

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित ग्रामीणों में से कुल 114 लोगों से हस्ताक्षर लिये गये। लोक सुनवाई के दौरान दिनांक 05.01.2012 को लिखित में 04 आवेदन प्राप्त हुए। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	आवेदनकर्ता का नाम	आवेदन का विषय
1	श्री महेश कुमार निषाद, सरपंच, ग्राम पंचायत सिंगारपुर, जिला– राजनांदगांव।	मे0 सरिता स्टील एण्ड पावर लिमिटेड द्वारा ग्राम महरूमकला में प्रस्तावित फेरो एलाय, फेरो मैग्नीज एवं सिलिका प्लांट स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु।
2	श्री एन.के वर्मा, सरपंच एवं समस्त ग्रामवासी, ग्राम महरूमकला, वि.खं. खैरागढ़, जिला– राजनांदगांव।	सरिता ग्रुप पावर इण्डस्ट्रीज द्वारा उद्योग स्थापना की ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति बाबत्।
3	सरपंच, ग्राम पंचायत महरूमकला, जिला राजनांदगांव।	फेरो एलाय संयंत्र की महरूमकला ग्राम में स्थापना के संबंध में आपत्ति।
4	श्री सुनीलकांत पाण्डेय, अधिवक्ता, अध्यक्ष, ब्लाक कांग्रेस कमेटी, खैरागढ़, जिला– राजनांदगांव।	फेरो एलाय की महरूमकला ग्राम विकासखण्ड खैरागढ़ में स्थापना के संबंध में ब्लाक कांग्रेस कमेटी खैरागढ़ की आपत्ति बाबत्।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, श्री एस.के. पवार द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

(ए0 सी0 मालू)
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

(एस.के. पवार)
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–राजनांदगांव